



न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/Ministry of Social Justice & Empowerment

भारत सरकार/Government of India

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364

5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364

Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

Case No: 15546/1041/2024

In the matter of—

Sh. Kovid Jagdeo Manohar

...Complainant

Versus

The Director General,

Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) **...Respondent**

1. Gist of Complaint

1.1 The Complainant, a person with low vision (advanced retinitis pigmentosa), alleged denial of (a) scribe support and compensatory time in Paper-III (morning session) of CSIR CASE-2023 Stage-II on 07.07.2024 at Bhopal, and (b) adequate illumination/accessible arrangements; whereas, in the afternoon CPT session the same day, scribe was allowed on the basis of the same documents. He claimed he had uploaded requisite documents (UDID, disability certificate, scribe forms) and carried documents to the centre; denial in the morning allegedly caused academic prejudice and distress.

2. Issue of Notice

2.1 Notice was issued to CSIR on 15.07.2024 under sections 75 and 77 of the RPwD Act, 2016 (the Act) to file comments on the allegations.

3. Gist of Reply

3.1 CSIR submitted that as per the advertisement/Admit-card instructions, PwBD candidates opting for own scribe were required to carry originals of prescribed annexures; the Complainant allegedly did not present originals in the morning and hence

scribe was not permitted then; he was given compensatory time, and scribe was allowed for CPT upon production of originals in the afternoon. CSIR further relied on its internal processes and vendor coordination, and asserted compliance with the DEPwD guidelines.

4. Gist of Rejoinders

4.1 The Complainant cited DEPwD OM's dated 29.08.2018 (with 08.02.2019 corrigendum) and 10.08.2022 on scribes and compensatory time; and relied on *Vikash Kumar v. UPSC* (2021) 5 SCC 370 and *Avni Prakash v. NTA* to argue that assistance cannot be denied on hyper-technical grounds and that reasonable accommodation must be afforded. He reiterated inconsistent treatment: denial in the morning but allowance in the afternoon on the same set of documents.

5. Hearing and Record of Proceedings

5.1 **Hearing-I (13.11.2024):** A hearing in hybrid mode (offline/online) was conducted. The following parties/representatives were present:

1. Kovid Jagdeo Manohar (Complainant)
2. Suprakash Halder, Deputy Secretary, CSIR (Respondent)

5.2 The Court recorded the parties' submissions; directed CSIR to place on record (a) statements of the centre supervisor, (b) CCTV footage, (c) list and contact details of candidates (especially PwBD) who appeared at the centre; and (d) the percentage of posts reserved for PwBD in CSIR; warning that any false claim would amount to perjury.

5.3 **Hearing-II (24.03.2025):** A hearing in hybrid mode (offline/online) was conducted. The following parties/representatives were present:

1. Kovid Jagdeo Manohar (Complainant)
2. Adv. Rahul Bajaj (Representative of the Complainant)
3. Suprakash Halder, Deputy Secretary, CSIR (Respondent)

5.4 The Court expressed its concern that despite the lapse of considerable time, the Respondent did not submit the inquiry report. The Court was not inclined to accept the argument of the Respondent that the candidate/Complainant, a resident of Nagpur (Maharashtra), who traveled to Bhopal (Madhya Pradesh) to appear in his examination, did not have the requisite documents in original to show in the First Sitting of the examination for getting the scribe, but he could produce the same in the second sitting. It directed the Respondent to submit the inquiry report by the end of the week.

5.5 **Hearing-III (21.05.2025):** A hearing in hybrid mode (offline/online) was conducted. The following parties/representatives were present:

1. Kovid Jagdeo Manohar (Complainant)
2. Adv. Rahul Bajaj (Representative of the Complainant)
3. Harish Kumar, Deputy Secretary, CSIR (Respondent)
4. Adv. Arun Samwal, Counsel of Respondent (Representative of the Respondent)

(A) Submissions of the Complainant:

(i) The complainant's counsel highlighted three issues: (a) non-provision of illumination despite advance written request dated 01.07.2024 (emailed to CSIR helpdesk), (b) denial of scribe in the morning session despite uploading and producing requisite documents, though allowed in the afternoon with the same documents, (c) denial of compensatory time in the second session, compelling a re-exam and causing him to miss other examinations. Complainant's counsel also pointed out that CSIR admitted knowledge of the illumination request only upon receipt of the CCPD complaint. They argued this amounted to suppression and negligence.

(ii) On the scribe issue, Complainant's counsel stressed that the Court's earlier direction to produce supervisor's report and CCTV footage was ignored. They alleged suppression of material evidence. They also highlighted discriminatory treatment compared with another PwBD candidate, Mr. Alok Sharma, who was allowed a scribe despite not uploading details on the portal, whereas the complainant was denied despite uploading. They relied on Supreme Court's judgment in *Avni Prakash v. NTA* (2021) wherein corrective action was ordered even in large-scale examinations when denial of reasonable accommodation caused prejudice.

(iii) Relief sought included award of compensatory marks proportionate to loss, or creation of a supernumerary seat to remedy prejudice.

(B) Submissions of the Complainant in Person:

(i) The complainant reiterated that he carried and presented original documents, including the scribe permit and disability certificate, but they were not accepted.

(ii) Complainant also emphasized disparity in performance: in Stage-I (with scribe) he scored ~80%, whereas in Stage-II (without accommodations) he scored ~20%, demonstrating the prejudice suffered.

(C) Submissions of the Respondent (CSIR): CSIR maintained that illumination at the venue was adequate and no request was made on the day of exam. They argued the illumination request was emailed to the helpdesk, not directly to CSIR. On the scribe issue, they claimed originals were not produced in the morning and hence scribe was denied. They admitted that another candidate was allowed with originals at the centre even without portal submission, terming it per "instructions received". CSIR stated CCTV footage existed and could be shown at DEPwD office but had not been filed on record.

(D) **Observations of the Court:** The Court rejected CSIR's arguments that helpdesk communication was inadequate, holding that candidates are entitled to rely on official helpdesks and cannot be made to "beg" at the centre. The Court noted arbitrariness in allowing one candidate without portal upload but denying the complainant despite the upload. The Court directed CSIR to make CCTV footage available and provide further clarifications, while emphasising the duty to ensure dignity and reasonable accommodation.

5.6 The Court noted compliance directions, including the internal inquiry/report. The CCTV footage was shown to the Court in the subsequent sitting; it depicts the Complainant holding two papers at entry but does not conclusively prove either party's contention about whether originals were produced at the verification desk in the morning session.

5.7 **Internal Committee Report:** CSIR's Internal Committee report dated 27/28.03.2025 was forwarded in compliance with the Court's directions; it catalogues the governing OMs (2018, 2019, 10.08.2022) adopted by CSIR and describes exam-stage arrangements.

6. Observations

6.1 On the CCTV footage, the clip shows the Complainant holding two papers at entry; however, it does not conclusively establish whether the original scribe annexures were presented at the verification desk in the morning session. Thus, the conflicting versions remain unproven either way on this point.

6.2 The inconsistency whereby scribe was denied in the morning but permitted in the afternoon on the same day underscores a process/control gap at the centre-level interface, irrespective of whether documents were originals or copies.

6.3 While CSIR's internal report lists adoption of the DEPwD OMs (2018; corrigendum 2019; 10.08.2022) and compensatory-time rules, those standards must translate into uniform operational practice across centres—particularly around:

- (a) Pre-admit card upload checks vs. day-of-exam verification;
- (b) Acceptance criteria and fallback protocols when originals are temporarily unavailable; and
- (c) Ensuring compensatory time and ambient illumination are consistently secured for VI candidates.

6.4 Jurisprudence (e.g., Vikash Kumar) stresses reasonable accommodation over rigid formalism; however, in the instant facts, the evidentiary record—especially the CCTV—does not enable a definitive finding of wrongful denial in the morning session.

6.5 The Department of Empowerment of Persons with Disabilities has issued revised guidelines for competitive examinations for Persons with Disabilities (PwDs) on 01.08.2025 in supersession of its earlier OMs of 2018, 2019, and 2022. The key

provisions are as under:

(a) Independent Examination with Technology

- (i) PwDs encouraged to use software-enabled laptops, desktops, Braille/large print, or recording devices.
- (ii) Assistive tech includes JAWS, NVDA, ORCA, magnifiers, voice recognition, text-to-speech, etc.
- (iii) Goal: reduce dependency on scribes, promote independent participation.

(b) Use of Scribes / Readers / Lab Assistants

- (i) Scribes provided only if technology unavailable or candidate prefers it.
- (ii) Examining Bodies (EBs) must build vetted pool of scribes within 2 years.
- (iii) "Own scribe" allowed only as a last resort with strict checks.
- (iv) Scribe qualifications: 2–3 academic years below minimum exam eligibility.
- (v) Scribes must be impartial, conflict-free, and vetted by EB.

(c) Compensatory Time - 20 minutes per exam hour extra for PwDs with writing limitations (pro-rata if exam <1 hour).

(d) Accessible Examination Centres

- (i) Centres must provide ramps, lifts, signage, audio announcements, ground-floor seating.
- (ii) Staff trained on disability etiquette; medical personnel on-site.
- (iii) Separate/quieter rooms for SLD, neurodiverse, or chronic condition candidates.

(e) Additional Safeguards

- (i) Accept disability certificates issued under RPwD Act 2016 & earlier Acts.
- (ii) Dedicated complaint resolution system for PwDs.
- (iii) Training & incentives for scribes in official pool.
- (iv) Annual sensitization training for officials and invigilators.
- (v) Strict data protection (Digital Personal Data Protection Act, 2023).
- (vi) Penal action for non-compliance by officials.

(f) Implementation

- (i) Guidelines effective immediately (01 August 2025).
- (ii) All Examining/Recruiting Bodies must align rules within 3 months.
- (iii) Periodic surveys/verification to ensure compliance.

7. Recommendations

7.1 In exercise of powers to advise and secure compliance with the RPwD Act and allied executive instructions, the Respondent is directed to implement the following systemic measures within 60 days and report compliance:

- (a) **Single-source SOP** aligning CSIR/Vendor centre-operations with DEPwD's OMs dated 01.08.2025 for scribes/reader and compensatory time; publish a centre-checklist and candidate-facing FAQs.
- (b) **Document-verification protocol:** where a candidate claims originals are on person but momentarily inaccessible or in dispute, the centre shall (i) accept self-undertaking, (ii) verify ID/UDID, (iii) retain photocopies/digital copies, and (iv) allow scribe provisionally; post-facto verification to follow within a fixed timeline.
- (c) **Pre-exam readiness for PwBD candidates:** dedicated help-desk slot the day before (virtual/onsite) to validate uploaded scribe forms and clarify doubts, so day-of-exam conflicts are avoided.
- (d) **Ambient accessibility:** mandatory lighting checklist and workstation magnification settings for VI candidates; record these in the centre log.
- (e) **Attendance-sheet printing:** auto-print PwBD flag, sanctioned scribe status, and compensatory time on the candidate's roll sheet to prevent invigilator-level divergence.
- (f) **CCTV & incident tracker:** preserve entry-desk and verification-desk timestamps for at least 90 days; ensure that the field of view captures document-check counters.
- (g) **Training:** compulsory pre-exam micro-module for supervisors/invigilators on reasonable accommodation and scribe rules; maintain completion rosters.
- (h) **Escalation ladder:** real-time escalation to CSIR Command Centre during any scribe-verification dispute with a 10-minute resolution SLA; if unresolved, default in favour of the candidate consistent with accommodation principles.
- (i) **Post-exam remedial window:** where a candidate credibly alleges denial of accommodation, provide a defined remedial pathway (e.g., re-test with scribe) without the candidate bearing cost, consistent with court directions and DEPwD OMs.

7.2 CSIR shall file an Action Taken Report (with SOP, training proof, specimen checklists, screenshots, and vendor circular) in this Court within three months from the

receipt of these recommendations.

8. Obligations under the RPwD Act & Rules (Illustrative)

8.1 The Respondent is reminded that under Section 76, it is bound to comply with these recommendations or furnish reasoned justifications for non-acceptance.

8.2 Non-compliance may invite action under Section 89 (penalty for contravention) and Section 93 (offences for false information, suppression of facts).

9. Conclusion

9.1 This matter is disposed of accordingly.

(Rajesh Aggarwal)
(Chief Commissioner for Persons with Disabilities)



सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/Ministry of Social Justice & Empowerment

भारत सरकार/Government of India

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364

5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364

Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

Case No: 15546/1041/2024

In the matter of—

Sh. Kovid Jagdeo Manohar

...Complainant

Versus

The Director General,

Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) . ..Respondent

1. शिकायत का सार

1 . 1 शिकायतकर्ता, जो दृष्टिबाधित (एडवांस्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा) हैं, ने आरोप किया कि 07.07.2024 को भोपाल केन्द्र पर CSIR CASE-2023 चरण-II के पेपर-III (प्रातः सत्र) में उन्हें लेखक (स्क्राइब) एवं प्रतिपूरक समय देने से मना किया गया; जबकि उसी दिन अपराह्न CPT सत्र में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर लेखक की अनुमति दे दी गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने आवश्यक दस्तावेज (UDID, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, लेखक-सम्बंधी प्रपत्र) समय से अपलोड किए थे और केन्द्र पर साथ लाए थे; प्रातः सत्र में इंकार से शैक्षणिक हानि व मानसिक कष्ट हुआ।

2. नोटिस

2.1 15.07.2024 को CSIR को आरोपों पर टिप्पणियाँ दाखिल करने हेतु दिव्यान्जन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 75 और 77 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया।

3. उत्तर का सार

3.1 CSIR के अनुसार विज्ञापन/एडमिट-कार्ड निर्देशानुसार स्वयं लेखक चुनने पर निर्धारित मूल प्रपत्र साथ लाना अनिवार्य था; शिकायतकर्ता द्वारा प्रातः मूल प्रस्तुत न करने पर लेखक नहीं दिया गया; प्रतिपूरक समय उपलब्ध कराया गया; अपराह्न CPT में मूल प्रस्तुत करने पर लेखक दे दिया गया। CSIR ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और विक्रेता-समन्वय का उल्लेख करते हुए DEPwD दिशानिर्देशों के अनुपालन का दावा

किया।

4. पुनर्जवाब का सार

4.1 शिकायतकर्ता ने DEPwD के 29.08.2018 (08.02.2019 संशोधन) और 10.08.2022 के निर्देशों तथा 'विकास कुमार बनाम UPSC' और 'अवनी प्रकाश बनाम NTA' के निर्णयों पर भरोसा किया—कि तकनीकी आपत्तियों के आधार पर सहायता से इंकार नहीं किया जा सकता और युक्तियुक्त समायोजन आवश्यक है। उन्होंने सुबह-अपराह्न के परस्पर-विरोधी व्यवहार (सुबह इंकार, शाम अनुमति) को रेखांकित किया।

5. सुनवाई व कार्यवाही

5.1 **सुनवाई-I (13.11.2024):** संकर मोड में (ऑफलाइन/ऑनलाइन) सुनवाई आयोजित की गई। निम्नलिखित पक्षकारप्रतिनिधि उपस्थित रहे:

1. श्री कोविड जगदेव मनोहर (शिकायतकर्ता)
2. श्री सुप्रकाश हालदार, उप सचिव, सीएसआईआर (प्रतिवादी)

5.2 न्यायालय ने पक्षकारों को सुना; CSIR को (क) केन्द्र-प्रभारी का बयान, (ख) CCTV फुटेज, (ग) केन्द्र पर उपस्थित—विशेषकर PwBD—अभ्यर्थियों की सूची/संपर्क विवरण, तथा (घ) CSIR में PwBD आरक्षण प्रतिशत प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया; असत्य कथन न्यायालय के समक्ष शपथभंग माना जाएगा।

5.3 **सुनवाई-II (24.03.2025):** संकर मोड में (ऑफलाइन/ऑनलाइन) सुनवाई आयोजित की गई। निम्नलिखित पक्षकारप्रतिनिधि उपस्थित रहे:

1. श्री कोविड जगदेव मनोहर (शिकायतकर्ता)
2. अधिवक्ता राहुल बजाज (शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि)
3. श्री सुप्रकाश हालदार, उप सचिव, सीएसआईआर (प्रतिवादी)

5.4 न्यायालय ने यह चिंता व्यक्त की कि पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद प्रतिवादी ने जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं था कि अभ्यर्थी/शिकायतकर्ता/, जो नागपुर महाराष्ट्र का निवासी है और अपनी परीक्षा देने हेतु भोपाल (मध्य प्रदेश) गया था, उसके पास परीक्षा की प्रथम बैठक में लेखक (scribe) प्राप्त करने हेतु आवश्यक मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, किंतु वह उन्हें दूसरी बैठक में प्रस्तुत कर सका। न्यायालय ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह सप्ताह के अंत तक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

5.5 **सुनवाई-III (21.05.2025):** संकर मोड (ऑफलाइन/ऑनलाइन) में एक सुनवाई आयोजित की गई। निम्नलिखित पक्षकार/प्रतिनिधि उपस्थित रहे:

1. श्री कोविड जगदेव मनोहर (शिकायतकर्ता)
2. अधिवक्ता राहुल बजाज (शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि)
3. श्री हरीश कुमार, उप सचिव, सीएसआईआर (प्रतिवादी)
4. अधिवक्ता अरुण संवाल, प्रतिवादी के अधिवक्ता (प्रतिवादी के प्रतिनिधि)

(A) शिकायतकर्ता की प्रस्तुतियाँ:

(i) शिकायतकर्ता के वकील ने तीन मुद्दे उजागर किए:

(a) 01.07.2024 की अग्रिम लिखित अनुरोध (सीएसआईआर हेल्पडेस्क को ईमेल किया गया) के बावजूद प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया,

(b) आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड और प्रस्तुत करने के बावजूद सुबह के सत्र में लेखक से वंचित किया गया, जबकि दोपहर के सत्र में समान दस्तावेज़ के साथ अनुमति दी गई

(c) दूसरे सत्र में क्षतिपूर्ति समय से वंचित किया गया जिससे पुनः परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और अन्य परीक्षाओं से वंचित रहना पड़ा। शिकायतकर्ता के वकील ने यह भी बताया कि सीएसआईआर ने सीसीपीडी शिकायत प्राप्त होने पर ही प्रकाश अनुरोध की जानकारी स्वीकार की। उन्होंने तर्क दिया कि यह दमन और लापरवाही के समान है।

(ii) लेखक मुद्दे पर, शिकायतकर्ता के वकील ने जोर दिया कि न्यायालय के पूर्व निर्देश के अनुसार पर्यवेक्षक की रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत करने की अनदेखी की गई। उन्होंने सामग्री साक्ष्य के दमन का आरोप लगाया। उन्होंने एक अन्य पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार, श्री आलोक शर्मा की तुलना में भेदभावपूर्ण व्यवहार उजागर किया, जिन्हें पोर्टल पर विवरण अपलोड नहीं करने के बावजूद लेखक की अनुमति दी गई, जबकि शिकायतकर्ता को अपलोड करने के बावजूद वंचित किया गया। उन्होंने अविनि प्रकाश बनाम एनटीए (2021) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में भी सुधारात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया था जब उचित आवास के इनकार से पूर्वाग्रह होता है।

(iii) राहत के रूप में नुकसान के अनुपात में क्षतिपूर्ति अंक प्रदान करना या पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए एक सुपरन्यूमेरी सीट बनाना शामिल है।

(B) शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत प्रस्तुतियाँ:

(i) शिकायतकर्ता ने दोहराया कि वह मूल दस्तावेज़, जिनमें लेखक की अनुमति और विकलांगता प्रमाण पत्र शामिल हैं, ले गए और प्रस्तुत किए, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया।

(ii) शिकायतकर्ता ने प्रदर्शन में असमानता पर भी जोर दिया: चरण-I (लेखक के साथ) में उन्होंने ~80% अंक प्राप्त किए, जबकि चरण-II (आवास के बिना) में उन्होंने ~20% अंक प्राप्त किए, जिससे उन्हें हुए पूर्वाग्रह का प्रदर्शन हुआ।

(C) उत्तरदाता (सीएसआईआर) की प्रस्तुतियाँ: सीएसआईआर ने कहा कि परीक्षा स्थल पर प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त थी और परीक्षा के दिन कोई अनुरोध नहीं किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रकाश अनुरोध हेल्पडेस्क को ईमेल किया गया था, सीधे सीएसआईआर को नहीं। लेखक मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि सुबह मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए थे और इसलिए लेखक से वंचित किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि एक अन्य उम्मीदवार को पोर्टल जमा किए बिना भी केंद्र पर मूल दस्तावेज़ के साथ अनुमति दी गई थी, इसे "प्राप्त निर्देशों" के अनुसार बताया गया। सीएसआईआर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और डीईपीडब्ल्यूडी कार्यालय में दिखाया जा सकता है, लेकिन रिकॉर्ड पर नहीं दाखिल किया गया है।

(D) अध्यक्ष की टिप्पणियाँ: न्यायालय ने सीएसआईआर के तर्क को खारिज कर दिया कि हेल्पडेस्क संचार अपर्याप्त था, यह मानते हुए कि उम्मीदवार आधिकारिक हेल्पडेस्क पर भरोसा करने के हकदार हैं और उन्हें केंद्र पर "याचना" करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने एक उम्मीदवार को पोर्टल अपलोड के बिना अनुमति देने और शिकायतकर्ता को अपलोड के बावजूद वंचित करने में मनमानी देखी। न्यायालय ने सीएसआईआर को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने और आगे के स्पष्टीकरण प्रदान करने का

निर्देश दिया, जबकि गरिमा और उचित आवास सुनिश्चित करने के कर्तव्य पर जोर दिया।

5.6 न्यायालय ने अनुपालन निर्देशों को नोट किया, जिसमें आंतरिक जांच/रिपोर्ट शामिल है। सीसीटीवी फुटेज को बाद की बैठक में न्यायालय में दिखाया गया; यह शिकायतकर्ता को प्रवेश पर दो कागजात पकड़े हुए दिखाता है, लेकिन यह निर्णायक रूप से साबित नहीं करता है कि सुबह के सत्र में सत्यापन डेस्क पर मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे या नहीं।

5.7 आंतरिक समिति रिपोर्ट: 27/28.03.2025 दिनांकित CSIR की आंतरिक समिति रिपोर्ट निर्देशों के अनुपालन में अग्रसारित हुई; इसमें CSIR द्वारा अपनाए गए 2018, 2019 (संशोधित) तथा 10.08.2022 वाले OMs और परीक्षा-चरण व्यवस्थाओं का वर्णन है।

6. अवलोकन

6.1 CCTV क्लिप में प्रवेश पर शिकायतकर्ता के हाथ में दो कागज दिखते हैं; किन्तु यह निर्णायक रूप से प्रमाणित नहीं होता कि प्रातः सत्र में लेखक-सम्बंधी मूल प्रपत्र सत्यापन काउंटर पर प्रस्तुत किए गए थे या नहीं; अतः दोनों पक्षों के दावे इस बिंदु पर सिद्ध नहीं होते।

6.2 एक ही दिन—सुबह इंकार और शाम को अनुमति—की असंगति केन्द्र-स्तरीय प्रक्रिया/नियंत्रण की कमी दिखाती है, भले ही विवाद 'मूल बनाम प्रति' का क्यों न रहा हो।

6.3 यद्यपि CSIR की रिपोर्ट में DEPwD OMs (2018; 2019; 10.08.2022) और प्रतिपूरक समय का उल्लेख है, आवश्यक है कि ये मानक सभी केन्द्रों में समान रूप से लागू हों, विशेषकर—

- (क) एडमिट-कार्ड-पूर्व अपलोड जाँच बनाम परीक्षा-दिवस सत्यापन का सामंजस्य;
- (ख) 'मूल' अस्थायी रूप से उपलब्ध न होने पर वैकल्पिक/शपथपत्र-आधारित प्रावधान;
- (ग) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु प्रतिपूरक समय और उपयुक्त रोशनी/वर्धित अक्षर-सेटिंग का सुनिश्चित क्रियान्वयन।

6.4 न्यायिक दृष्टान्त (उदा., विकास कुमार) युक्तियुक्त समायोजन पर बल देते हैं; किन्तु इस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों—विशेषकर CCTV—के आधार पर प्रातः सत्र में 'अनुचित अस्वीकार' का निर्णायक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।

6.5 दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने ०१.०८.२०२५ को दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो अपने पूर्व ओएम २०१८, २०१९ और २०२२ को अधिसूचित करते हैं। मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

(a) प्रौद्योगिकी के साथ स्वतंत्र परीक्षा

- (i) पीडब्ल्यूडी को सॉफ्टवेयर-सक्षम लैपटॉप, डेस्कटॉप, ब्रेल/बड़े प्रिंट, या रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- (ii) सहायक प्रौद्योगिकी में जॉज़, एनवीडीए, ऑर्का, आवर्धक, आवाज पहचान, पाठ-से-भाषण आदि शामिल हैं।
- (iii) लक्ष्य: लेखकों पर निर्भरता कम करना, स्वतंत्र भागीदारी को बढ़ावा देना।

(b) लेखकों / पाठकों / प्रयोगशाला सहायकों का उपयोग

- (i) लेखक केवल तभी प्रदान किए जाते हैं जब प्रौद्योगिकी अनुपलब्ध हो या उम्मीदवार इसे पसंद करता है।
- (ii) परीक्षा निकायों (ईबी) को २ वर्षों के भीतर जांचे गए लेखकों का एक पूल बनाना होगा।
- (iii) "स्वयं लेखक" केवल अंतिम उपाय के रूप में अनुमति दी जाती है, जिसमें सख्त जांच होती है।
- (iv) लेखक योग्यता: परीक्षा पात्रता से २-३ शैक्षणिक वर्ष नीचे।
- (v) लेखकों को निष्पक्ष, संघर्ष-मुक्त और ईबी द्वारा जांचा जाना चाहिए।

(c) क्षतिपूर्ति समय - लिखने में अक्षमता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रति परीक्षा घंटे २० मिनट अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा (यदि परीक्षा १ घंटे से कम है तो आनुपातिक रूप से)।

(d) सुलभ परीक्षा केंद्र

- (i) केंद्रों में रैंप, लिफ्ट, चिह्न, ऑडियो घोषणाएं, ग्राउंड-फ्लोर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (ii) कर्मचारियों को दिव्यांग शिष्टाचार पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए; चिकित्सा कर्मियों को ऑन-साइट होना चाहिए।
- (iii) एसएलडी, न्यूरोडाइवर्स या पुरानी स्थिति वाले उम्मीदवारों के लिए अलग/शांत कमरे।

(e) अतिरिक्त सुरक्षा उपाय

- (i) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम २०१६ और पूर्व अधिनियमों के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्वीकार करें।
- (ii) पीडब्ल्यूडी के लिए समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली।
- (iii) आधिकारिक पूल में लेखकों के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन।
- (iv) अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए वार्षिक स संवेदनशीलता प्रशिक्षण।
- (v) सख्त डेटा सुरक्षा (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३)।
- (vi) अधिकारियों द्वारा अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई।

(f) कार्यान्वयन

- (i) दिशानिर्देश तुरंत प्रभावी होते हैं (०१ अगस्त २०२५)।

(ii) सभी परीक्षा/नियुक्ति निकायों को 3 महीनों के भीतर नियमों को संरेखित करना होगा।

(iii) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण/सत्यापन।

7. अनुशंसाएँ

7.1 RPwD अधिनियम व कार्यपालक निर्देशों की प्रभावी पालना हेतु CSIR निम्नलिखित प्रणालीगत कदम 60 दिनों में लागू करे और अनुपालन-रिपोर्ट प्रस्तुत करे—

(a) एकीकृत **SOP**: DEPwD OMs (29.08.2018; 08.02.2019; 10.08.2022) अनुरूप एकीकृत SOP; केन्द्र-चेकलिस्ट व अभ्यर्थी-FAQ प्रकाशित हों।

(b) दस्तावेज़ सत्यापन प्रोटोकॉल: मूल को लेकर विवाद/अनुपलब्धता पर—स्व-घोषणा लें, ID/UDID जाँचें, प्रति/डिजिटल कॉपी रखें, और लेखक अस्थायी रूप से उपलब्ध कराएँ; पश्च-सत्यापन निश्चित समय-सीमा में करें।

(c) पूर्व-परीक्षा सहायता: PwBD अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा-पूर्व (वर्चुअल/ऑन-साइट) स्लॉट/हेल्प-डेस्क पर लेखक-प्रपत्र सत्यापन।

(d) पर्यावरणीय सुगमता: प्रकाश-चेकलिस्ट एवं VI हेतु वर्धित-फॉन्ट/मैग्निफिकेशन सेटिंग का केन्द्र-लॉग में अभिलेखन।

(e) उपस्थिति-पत्रक पर संकेत: PwBD स्थिति, स्वीकृत लेखक-स्थिति एवं प्रतिपूरक समय स्वतः मुद्रित हो।

(f) **CCTV व घटना-अभिलेख**: प्रवेश/सत्यापन-काउंटर का टाइम-स्टैम्प सहित दृश्य कम-से-कम 90 दिन सुरक्षित रखें।

(g) **प्रशिक्षण**: पर्यवेक्षक/अनुश्रवण-कर्मियों हेतु युक्तियुक्त समायोजन व लेखक-नियमों का सूक्ष्म पाठ्यक्रम; उपस्थिति-अभिलेख संधारित हों।

(h) **एस्केलेशन**: किसी भी लेखक-सत्यापन विवाद में 10-मिनट SLA के साथ CSIR कमांड-सेंटर को तत्काल एस्केलेट; अनिर्णीत होने पर समायोजन-सिद्धांत के अनुरूप अभ्यर्थी-हित में निर्णय।

(i) **परीक्षा-उपरान्त उपचारात्मक प्रावधान**: समुचित सुविधा से वंचन के विश्वसनीय आरोप पर स्पष्ट उपचार (उदा., लेखक सहित पुनर्परीक्षा) बिना अभ्यर्थी पर वित्तीय भार।

7.2 उपर्युक्त पर 60 दिनों में अनुपालन-रिपोर्ट (SOP, प्रशिक्षण-प्रमाण, नमूना-चेकलिस्ट, स्क्रीनशॉट, विक्रेता-परिपत्र सहित) न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

8. RPwD अधिनियम के तहत दायित्व

8.1 पक्षकारों को याद दिलाया जाता है कि धारा ७६ के तहत वे इन सिफारिशों का पालन करने या गैर-स्वीकृति के लिए तर्कसंगत औचित्य प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

8.2 अनुपालन न करने पर धारा ८९ (विपरीत के लिए दंड) और धारा ९३ (झूठी जानकारी तथ्यों को

दबाने के लिए अपराध) के तहत कारेवाई हो सकती हैं।

9. निष्कर्ष

9.1 अतः यह मामला इस प्रकार निस्तारित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

(राजेश अग्रवाल)
(मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन)

(**Disclaimer:** In case of any doubts, the English version shall be referred to as the Original Version)